(नियम 20)

न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक), निवाई जिला टोंक

दावा संख्या 79 वर्ष 2024

शंकरलाल बनाम जयराम वगै.

दावा बाबत उद्घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म के तामील में जारी हुए
20.08.2024	पत्रावली श्री रामदयाल शर्मा एड0 ने पेश की। अवलोकन किया। दावा दर्ज रजिस्टर हो। पेशशुदा तलवाने पर तलबी प्रतिवादीगण जरिये रजि0 डाक से की जाकर पत्रावली दिनांक 19.09.2024 को पेश हो।	4461-4482 30/08/24
19/9/24	पत्रावली पेश हुई। आज P.O. अन्य [illegible] कार्य / [illegible] [illegible] 2024 में व्यस्त है। पत्रावली अग्रिम आदेश [illegible] को पेश हो। 21/11/24	
21/11/24	पत्रावली पेश हुई। प्रा0 प्रवक्तिगण मिति 16/4/25 को पेश हो।	
16/4/25	पत्रावली पेश हुई। आज P.O. अन्य [illegible] शासन गाँवों व सँग [illegible] व्यस्त है। पत्रावली [illegible] को पेश हो। 2/5/25	
2/5/25	पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वादी वकील गैर हाजिर रहकर चक्कर बार-बार आवाज लगाई गई। बार-बार आवाज लगाने के बाद भी वादी एवं वादी वकील गैर हाजिर रहना वादी का बार अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुदा नम्बर में कर दी जाकर दफ्तर दाखिल हो।	

सहायक कलक्टर
(फास्टट्रेक) निवाई